न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 129 / 2017 / 223 आरटीए

1. दलवीरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलाण्ट

बनाम

1. अमृतपालसिंह पुत्र पवनजीत पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरदास सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट / वादीगण

3. कलवंतसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. छिन्द्रसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सोहनसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. महेन्द्रसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. मन्दरसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मोहनसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. पवनजीतसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. अमरजीत कौर पुत्री कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

(2) अपील स. 145/2017/223 आरटीए

1. सन्तलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1 अमृतपालसिंह पुत्र पवनजीत पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. गुरदास सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेण्ट/वादीगण

3. कलवंतसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. छिन्द्रसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. सोहनसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6. महेन्द्रसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7. मन्दरसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

8. मोहनसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. पवनजीतसिंह पुत्र कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. अमरजीत कौर पुत्री कलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 उपखण्डाधिकारी टिब्बी
प्रकरण सं0 241/2016 अनवानी अमृतपालसिंह आदि बनाम कलवंतसिंह आदि

उपस्थित :–

1. श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिंनाक : 21.06.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2/वादीगण अमृतपालसिंह व गुरदाससिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 सं. 1 ता 10 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2016 को ही मुताबिक राजीनामा उक्त वादपत्र डिक्री किया गया। जबकि अपील सं. 145/2017 के अपीलांट ने रेस्पो0 सं. 3 से चक 1 एनडीआर के खाता सं. 90/30 मे उसके हक व हिस्सा व कब्जा की 1.649–1/2 है0 मे से 0.051 है0 व अपील सं. 129/2017 के अपीलांट दलवीरसिंह ने 0.0036 है0 भूमि खरीद की तथा दिनांक 1905.2016 को रेस्पो0 सं. 3 ने अपीलांट दलवीर सिंह के पक्ष मे 0.0036 है0 कमाण्ड भूमि का बैयनामा निष्पादित कर उपपंजीयक से पंजीबद्ध करवा दिया लेकिन अपीलांट को विक्रयशुदा 0.051 है0 भूमि मे अरण्ड की फसल काश्त होने के कारण रेस्पो0 सं. 3 ने उक्त भूमि खाली कर 15–20 दिन मे अपीलांट के पक्ष मे रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया। रेस्पो0 सं. 3 ने उपरोक्त 0.051 है0 भूमि खाली कर दिनांक 15.06.2016 को उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलांट के संतलाल के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया तथा विक्रयशुदा भूमि का कब्जा मौका पर अपीलांट को सौंप दिया। जिसका नामान्तरण भी

अपीलांट के नाम दर्ज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2016 को रेस्पो0 सं. 3 / प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक 1 एनडीआर की समस्त 1.649½ है0 भूमि की रेस्पो0 सं. 5 / प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे अपीलांटस की खरीदशुदा भूमि भी शामिल है, उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित होकर दो अपीले दलवीरसिंह बनाम अमृतपालसिंह व सन्तलाल बनाम अमृतपालसिंह आदि पेश हुई। दोनो अपीले एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा सम्मान पक्षकार होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपील सं. 129 / 2017 के अपीलाण्ट दलवीरसिंह के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र दिनांक 24.05.2016 को प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 सं. 3 ता 10 की तलबी हेतु अगले दिन अर्थात दिनांक 25.05.2016 तारीख मुकर्रर की तथा दिनांक 25.05.2016 को ही उक्त वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने के आदेश किये गये। चक 3 एनडीआर के खाता सं. 90 / 30 मे रेस्पो0 सं. 3 के नाम दर्ज कुल 1.638½ है0 भूमि मे से 0.0036 है0 भूमि का रेस्पो0 सं. 3 द्वारा दावा दायरी से पूर्व ही अपीलांट दलवीर सिंह के पक्ष मे रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.05.16 को करवा दिया था जिसका सभी रेस्पोडेंटस को शुरू से ज्ञान रहा है। लेकिन रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपीलांट को पक्षकार नही बनाकर अन्य रेस्पो0 से मिलीभगत कर अदालत को मुगालता मे रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपने वादपत्र मे समस्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा होने के कथन किये है लेकिन पारिवारिक बंटवारा का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया व न ही ऐसे पारिवारिक बंटवारे के संबंध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थी। वस्तुतः ऐसा कोई पारिवारिक बंटवारा कभी हुआ ही नही। रेस्पो0 सं. 1 ता 10 ने मिलीभगत कर अपीलांट भूमि हड़पने की गर्ज से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधिनुसार है या नही इस संबंध मे अपने निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मे कोई विवेचना नही की। अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड बैयनामा है जो एक प्रभावशील दस्तावेज है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलांट दलवीरसिंह के भाई सन्तलाल ने भी रेस्पो0 सं. 3 से भूमि खरीद की हुई है। सन्तलाल के नाम खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण भी सन्तलाल के नाम दर्ज हो चुका है। दिनांक 26.04.2017 को अपीलांट के भाई ने अपीलांट दलवीरसिंह को बताया कि उसके नाम दर्ज नामान्तरण के विरूद्ध रेस्पो0 सं. 3 ने सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 के आधार पर अपील प्रस्तुत की थी जो रेस्पो0 सं. 3 की अपील स्वीकार हुई। तब अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.16 के संबंध मे पड़ताल की तथा दिनांक 01.05.2017 को अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ, इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही था। इस कारण अपीलांट दलवीरसिंह बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। इस कारण अपील प्रस्तुति मे देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील सं. 129/2017 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 25.05.2016 को अपास्त किया जावें।

4. अपील सं. 145/2017 के अपीलाण्ट सन्तलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र दिनांक 24.05.2016 को प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 सं. 3 ता 10 की तलबी हेतु अगले दिन अर्थात दिनांक 25.05.2016 तारीख मुकर्रर की तथा दिनांक 25.05.2016 को ही उक्त वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने के आदेश किये गये। चक 3 एनडीआर के खाता सं. 90/30 मे रेस्पो0 सं. 3 के नाम दर्ज कुल 1.638½ है0 मे से 0.051 है0 भूमि को विक्रय करने का सौदा अपीलांट के साथ हो चुका था जिसका सभी रेस्पोडेंटस को शुरू से ज्ञान रहा है। लेकिन रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अन्य रेस्पो0 से मिलीभगत कर अदालत को मुगालता मे रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपने वादपत्र मे समस्त भूमि

Web Copy - Not Official

का पारिवारिक बंटवारा होने के कथन किये है लेकिन पारिवारिक बंटवारा का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया व न ही ऐसे पारिवारिक बंटवारे के संबंध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध थी। वस्तुतः ऐसा कोई पारिवारिक बंटवारा कभी हुआ ही नही। रेस्पो0 सं. 1 ता 10 ने मिलीभगत कर अपीलांट भूमि हड़पने की गर्ज से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधिनुसार है या नही इस संबंध मे अपने निर्णय मे कोई विवेचना नही की। अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड बैयनामा है जो एक प्रभावशील दस्तावेज है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट सन्तलाल ने बहस के अन्त मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 5 ने अपीलांट के पक्ष मे हुए नामान्तरण दिनांक 02.07. 2016 के विरूद्ध माननीय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अपील सं. 9 / 2016 प्रस्तुत की।उक्त अपील मे अपीलांट दिनांक 18.11.2016 को जरिये अधिवक्ता हाजिर आया। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को यह राय दी कि बैयनामा दिनांक 15.06.2016 एक रजिस्टर्ड बैयनामा है तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को यह राय नही दी कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अपीलांट इस भ्रम मे रहा कि अपीलांट के पास रजिस्टर्ड बैयनामा होने के कारण अपीलांट सद्भाविक रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही की। दिनांक 26.04.2017 को रेस्पो0 सं. 5 की अपील स्वीकार हो गई जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के यहां अपील प्रस्तुत की तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को यह कानूनी राय दी कि अपीलांट निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.16 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। उक्त कानूनी राय मिलने पर अपीलांट ने हनुमानगढ़ मे अपना अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत कर रहा है। इस कारण अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाना आवश्यक है। रेस्पो0 सं. 5 सोहनसिंह ने संतलाल के पक्ष मे हुये बैयनामा को चुनौती सिविल न्यायालय मे दी थी लेकिन वहां राजीनामा हो जाने का कथन कर दावा वापिस ले लिया तथा सोहनसिंह के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.04.2017 के

Web Copy - Not Official

विरूद्ध संतलाल ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील मे भी रेस्पो सं. 5 सोहनसिंह व अपीलांट संतलाल के मध्य राजीनामा हो जाने व बैयनामा के आधार पर हुये नामान्तरण सही होने मे रेस्पो0 ने सहमति दी तथा माननीय 20.09.2017 के जरिये निर्णय दिनांक 26.04.17 को अपास्त करते हुए नामान्तरण संख्या 407 दिनांक 20.07.2016 को यथावत रखने के आदेश पारित किये। उक्त परिस्थितियों मे रेस्पो0 सं. 5 सोहनसिंह द्वारा अपीलांट के पक्ष मे हुये बैयनामा दिनांक 15.06.2016 को स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 को अपास्त किया जावें।

5. अपील सं. 129/2017 व अपील सं. 145/2017 के रेस्पो0 सं. 5 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णितानुसार व बैयनामा के अनुसार अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात रेस्पो0 सं. 3 कलवंतसिंह से बैयनामा दिनांक 15.06.2016 को भूमि क्रय करना बताया है दिनांक 15.06.2016 को रेस्पो0 सं. 3 के नाम भूमि नही थी बल्कि उससे पूर्व ही उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 5 सोहनसिंह को न्यायालय की डिक्री से मिल चुकी थी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के पश्चात रेस्पो0 सं. 3 को भूमि विक्रय का हक नही था। न्यायालयों मे विचाराधीन वादो के संबंध मे पक्षकारो के मध्य समझौतानामा की भी लिखित हुई थी उसमे प्रश्नगत 0.051 है0 पर अपीलांट का कब्जा ना होना साबित है तथा उक्त समझौतानामा मे वर्णितानुसार प्रतिफल राशि 2,50,000/–रू0 अपीलांट द्वारा भुगतान की जाकर रसीद प्राप्त करने का भी उल्लेख है तथा उक्त राशि भुगतान होने पर कब्जा भूमि सुपुर्द करना राजीनामा मे तय था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 के पश्चात का अपीलांट कथित बैयनामा दिनांक 15.06.2016 के आधार पर अपीलांट उक्त अपील मे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था

इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपीलो का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्‌देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 / वादीगण अमृतपालसिंह व गुरदाससिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 सं. 1 ता 10 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2016 को ही मुताबिक राजीनामा उक्त वादपत्र डिक्री किया गया। जबकि अपील सं. 145 / 2017 के अपीलांट ने रेस्पो0 सं. 3 से चक 1 एनडीआर के खाता सं. 90 / 30 मे उसके हक व हिस्सा व कब्जा की 1.649–1 / 2 है0 मे से 0.051 है0 व अपील सं. 129 / 2017 के अपीलांट दलवीरसिंह ने 0.0036 है0 भूमि खरीद की तथा दिनांक 19.05.2016 को रेस्पो0 सं. 3 ने अपीलांट दलवीर सिंह के पक्ष मे 0.0036 है0 कमाण्ड भूमि का बैयनामा निष्पादित कर उपपंजीयक से पंजीबद्ध करवा दिया लेकिन अपीलांट को विक्रयशुदा 0.051 है0 भूमि मे अरण्ड की फसल काश्त होने के कारण रेस्पो0 सं. 3 ने उक्त भूमि खाली कर 15–20 दिन मे अपीलांट के पक्ष मे रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया। रेस्पो0 सं. 3 ने उपरोक्त 0.051 है0 भूमि खाली कर दिनांक 15.06.2016 को उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलांट के संतलाल के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया तथा विक्रयशुदा भूमि का कब्जा मौका पर अपीलांट को सौंप दिया। जिसका नामान्तरण भी अपीलांट के नाम दर्ज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2016 को रेस्पो0 सं. 3 / प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक 1 एनडीआर की समस्त 1.649½ है0 भूमि की रेस्पो0 सं. 5 / प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे अपीलांटस की खरीदशुदा भूमि भी शामिल है, उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित होकर दो अपीले दलवीरसिंह बनाम अमृतपालसिंह व सन्तलाल बनाम अमृतपालसिंह आदि पेश हुई।

7. वादग्रस्त भूमि चक 1 एनडीआर की 1.649½ भूमि मे से रेस्पो0 सं. 3 ने 0.0036 है0 भूमि अपील संख्या 129/2017 के अपीलांट दलवीरसिंह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.05.2016 बैय कर दी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के उक्त विक्रयशुदा भूमि को शामिल करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपने पक्ष मे करवा ली गई जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि मे से 0.0036 है0 भूमि अपीलांट दलवीरसिह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बैचान की जा चुकी थी। इसी प्रकार अपील सं. 145/2017 के अपीलांट संतलाल को रेस्पो0. सं. 3 ने वादग्रस्त भूमि मे से 0.051 है0 भूमि बैचान की गई जिसकी रजिस्ट्री करवाने हेतु 15–20 दिन का समय मांगा गया और दिनांक 15.06.2016 को रेस्पो0 सं. 3 ने उपरोक्त 0.051 है0 भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलांट संतलाल के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया तथा कब्जा भूमि मौका पर अपीलांट को सौंप दिया गया। उक्त खरीदशुदा 0.051 है0 भूमि का बैयनामा के आधार पर नामान्तरण भी अपीलांट संतलाल के नाम हो चुका है। परन्तु उक्त 0.051 है0 भूमि भी शामिल करते हुए रेस्पो0 सं. 5 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा ली। जिसमे रेस्पो0 सं. 5 का तर्क है कि रेस्पो0 सं. 3 कलवंतसिंह ने दिनांक 15.06.2016 को उक्त 0.051 है0 भूमि बैचान करने का अधिकारी नही था क्योंकि दिनांक 25.05.2016 को उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री रेस्पो0 सं. 5 को प्राप्त हो चुकी थी तथा दिनांक 15.06.2016 को कलवंतसिंह के नाम कोई भूमि दर्ज नही थी। इस कारण प्रश्नगत बैयनामा जो संतलाल के पक्ष मे निष्पादित हुआ है वह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बाद का है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रेस्पो0 सं. 5 सोहनसिंह ने संतलाल के पक्ष मे हुये बैयनामा को चुनौती सिविल न्यायालय मे दी थी लेकिन वहां राजीनामा हो जाने का कथन कर दावा वापिस ले लिया तथा सोहनसिंह के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.04.2017 के विरूद्ध संतलाल ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील मे भी रेस्पो सं. 5 सोहनसिंह व अपीलांट संतलाल के मध्य राजीनामा हो जाने व बैयनामा के आधार पर हुये नामान्तरण सही होने मे रेस्पो0 ने सहमति दी तथा दिनांक 20.09.2017 के जरिये निर्णय दिनांक 26.04.17 को अपास्त करते हुए नामान्तरण

संख्या 407 दिनांक 20.07.2016 को यथावत रखने के आदेश पारित किये। उक्त परिस्थितियों मे रेस्पो0 सं. 5 सोहनसिंह द्वारा विभिन्न न्यायालयों मे अपीलांट के पक्ष मे हुये बैयनामा दिनांक 15.06.2016 को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 को चक 1 एनडीआर के खाता सं. 90 / 30 की कुल 1.649½ भूमि मे से कलवंतसिंह द्वारा अपीलांट दलवीरसिंह के पक्ष मे विक्रय किया गया रकबा 0.0036 है0 एवं अपीलांट संतलाल के पक्ष मे विक्रय किया गया रकबा 0.051 है0 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे शामिल करने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 को चक 1 एनडीआर के खाता सं. 90 / 30 की कुल 1.649½ भूमि मे से कलवंतसिंह द्वारा अपीलांट दलवीरसिंह के पक्ष मे विक्रय किया गया रकबा 0.0036 है0 एवं अपीलांट संतलाल के पक्ष मे विक्रय किया गया रकबा 0.051 है0 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे शामिल करने के कारण अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि चक 1 एनडीआर के खाता सं. 90 / 30 की कुल 1.649½ भूमि मे से कलवंतसिंह द्वारा अपीलांट दलवीरसिंह के पक्ष मे विक्रय किये गये रकबा 0.0036 है0 एवं अपीलांट संतलाल के पक्ष मे विक्रय किये गये रकबा 0.051 है0 को छोड़ते हुए शेष भूमि के संबंध मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.07.2018 को उपस्थित हो। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official